

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 332
11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स में रिक्त पद तथा बिस्तरों की कमी

*332. श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर के विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्वीकृत, भरे गए और रिक्त पदों की संस्थान-वार संख्या कितनी-कितनी है और उनसे संबंधित ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऐसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में आपातकालीन रोगियों की अधिक संख्या और बिस्तरों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बिस्तरों की क्षमता आवश्यकता के अनुसार बढ़ाने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

- (क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

11 अगस्त, 2023 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 332 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): विभिन्न संचालनरत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में संकाय और गैर-संकाय के संस्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों का ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। विभिन्न एम्स में रिक्तियों को भरा जाना सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई है।
- ii. सरकारी मेडिकल कॉलेजों/ संस्थाओं के सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को संविदा आधार पर 70 वर्ष की आयु तक रखा जा सकता है।
- iii. नर्सिंग संवर्गों के लिए केंद्रीकृत भर्ती लागू की गई है।
- iv. विभिन्न एम्स में भर्ती की स्थिति पर निगरानी मंत्रालय स्तर पर रखी जाती है।

(ग) और (घ): एम्स के लिए बिस्तरों की संख्या का निर्धारण सर्जिकल और मेडिकल स्पेशिएलिटी और सुपर स्पेशिएलिटी विभागों, जिन्हें स्थापित किया जाना है, तथा अन्य सुविधाओं जैसे इन्टेन्सिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, ट्रॉमा आदि के आधार पर किया जाता है। बिस्तरों की संस्वीकृत संख्या के अलावा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत सात एम्स दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में 150 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक-1

क्र.सं.	एम्स का नाम	संकाय पद			गैर-संकाय पद		
		संस्वीकृत पद संख्या	तैनाती	रिक्ति	संस्वीकृत पद संख्या	तैनाती	रिक्ति
1	नई दिल्ली	1207	860	347	12878	10447	2431
2	भोपाल	305	196	109	3884	1878	2006
3	भुवनेश्वर	315	236	79	3904	1986	1918
4	जोधपुर	305	220	85	3876	2462	1414
5	पटना	305	214	91	3876	2045	1831
6	रायपुर	305	190	115	3884	2387	1497
7	ऋषिकेश	305	211	94	3876	2231	1645
8	मंगलागिरी	183	130	53	1124	623	501
9	नागपुर	208	130	78	1138	677	461
10	कल्याणी	259	108	151	1520	686	834
11	गोरखपुर	183	88	95	1038	514	524
12	बठिंडा	183	112	71	1108	609	499
13	बिलासपुर	183	95	88	1018	465	553
14	गुवाहाटी	183	83	100	1018	193	825
15	देवघर	183	108	75	1018	435	583
16	बीबीनगर	183	108	75	971	351	620
17	रायबरेली	183	91	92	1311	627	684
18	राजकोट	183	72	111	951	345	606
19	मदुरै	183	42	141	903	शून्य	903
20	विजयपुर जम्मू	183	72	111	951	317	634
